भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 854**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिलों को निर्यात केंद्रों के रूप में विकसित करना

854. **श्रीमती माया नारोलिया**:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि जिलों को राष्ट्रीय निर्यात मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के उद्देश्य से "डिस्ट्रिक्ट्स एज़ एक्सपोर्ट हब्स" पहल के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) मध्य प्रदेश में कृषि-निर्यात के लिए चिह्नित जिलों का ब्यौरा क्या है तथा वहाँ परीक्षण सुविधाओं, ट्रेसबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एवं बाजार तक पहुँच से संबंधित कौन-कौन सी अवसंरचनात्मक कमियाँ चिन्हित की गई हैं; और

(ग) क्या नर्मदापुरम जिले, जिसे राज्य के योजना दस्तावेजों में बासमती चावल जैसी फसलों के निर्यात की क्षमता वाला जिला बताया गया है, को इस पहल के अंतर्गत चिह्नित किया गया है, यदि हाँ, तो जिले के लिए प्रस्तावित विशिष्ट निर्यात-सुविधा उपाय क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) *निर्यात हब के रूप में जिले (डीईएच)* विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग की पहल है, जो जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन, विनिर्माण और रोज़गार सृजन का कार्य करते हैं। इस पहल की प्रगति में शामिल हैं:

- देश भर के 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित करना;
- सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) का गठन करना;
- 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीतियाँ तैयार करना;
- 590 जिलों हेतु जिला निर्यात कार्य योजना तैयार करना;

डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी राज्य सरकारों और हितधारकों के समन्वय से जिला स्तर पर नियमित निर्यात संवर्धन, क्षमता-निर्माण और आउटरीच संबंधी कार्यकलाप कर रहे हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में जिलों की सूची, जहाँ निर्यात हब के रूप में जिला पहल के तहत उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित किया गया है, **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।

जिला निर्यात संवर्धन समितियों के विचार-विमर्श के आधार पर, जिलों में पहचानी गई प्रमुख बुनियादी ढांचागत कमियों में कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे (कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग हाउस और रीफर वैन) की अपर्याप्तता, परीक्षण प्रयोगशालाओं की सीमित उपलब्धता, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएं, बिजली आपूर्ति की कमी, साझा सुविधा केंद्रों (सीएफसी) का अभाव, और गुणवत्तापूर्ण निविष्टि, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम और बाजार संपर्कों तक पहुंच में कमी शामिल हैं।

(ग) नर्मदापुरम जिले को *निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों* की पहल में शामिल किया गया है।

जिला निर्यात कार्य योजना के अंतर्गत, नर्मदापुरम की जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति ने जिले-विशिष्ट निर्यात अवसरों की पहचान की है और अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सहित लक्षित सुविधा उपायों का प्रस्ताव रखा है:

- मूल्यवर्धित कृषि और जी.आई. आधारित उत्पादों का संवर्धन, जिसमें कोडो-कुटकी की जी.आई. टैगिंग के प्रयास शामिल हैं;
- वस्तुओं का एकत्रीकरण और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, जिससे बड़े पैमाने पर और थोक निर्यात संभव हो सके;
- पेशेवर एजेंसियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ब्रांडिंग, डिजाइन और बाजार पहुंच सहायता को मजबूत करना;
- प्रशिक्षण और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से निर्यातकों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और किसान समूहों की क्षमता का निर्माण करना;
- निर्यात को सक्षम बनाने वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण, जिसमें परीक्षण सुविधाएं, प्रमाणीकरण सहायता और एक साझा सुविधा केंद्र (सीएफसी) शामिल हैं;
- लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी में सुधार करना और आइसीडी तथा रेल-आधारित परिवहन संपर्कों का उपयोग करना; और
- जिला उत्पादकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए खरीदार-विक्रेता बैठकों और बाजार संपर्कों को सुविधाजनक बनाना।

डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी, भोपाल, राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के समन्वय से जिले में निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 06/02/2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 854 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	जिला	उत्पाद
1.	नर्मदापुरम	कपड़े, हस्तशिल्प की वस्तुएँ, बासमती चावल
2.	अगर मालवा	संतरा
3.	अलीराजपुर	हस्तनिर्मित आभूषण, मक्का, नूरजहां आम, मूसली
4.	अनूपपुर	तिल, कास्टिक सोडा, स्ट्रॉबेरी, कोडो कुटकी
5.	अशोकनगर	चंदेरी साड़ियाँ, ज्वेलरी बॉक्स
6.	बालाघाट	मैंगनीज, बॉक्साइट, अदरक, केला
7.	बरवानी	कपास, मिर्च, अदरक, केला
8.	बैतूल	गुड़, लकड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, चावल
9.	भिंड	सरसों, चॉकलेट, एलईडी
10.	भोपाल	फार्मा उत्पाद, बिजली का भारी सामान और टर्बाइन, ज़री ज़रदोज़ी, जूट उत्पाद
11.	बुरहानपुर	अनार, केला और केले का फाइबर, तिलहन, खाद्य प्रसंस्करण
12.	छतरपुर	हस्तनिर्मित शिल्प
13.	छिंदवाड़ा	संतरा
14.	दमोह	प्याज, लकड़ी के फर्नीचर, दालें
15.	दतिया	कच्चा कपास और धागा, काला चना, गेहूं
16.	देवास	फार्मा उत्पाद, मशीनरी के पुर्जे, आलू
17.	धार (पीथमपुर)	एफआइबीसी, प्लास्टिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, वस्त्र
18.	डिंडोरी	लोहे और बांस के हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक दवाएं, गोंड पेंटिंग
19.	गुना	जूट के थैले, खनिज या रासायनिक उर्वरक, धनिया
20.	ग्वालियर	आलू, दरियाँ, रबर के टायर, ट्रांसफार्मर के पुर्जे
21.	हरदा	गेहूँ का आटा, सागौन की लकड़ी, मूंग दाल, ताड़ के पत्तों से बनी वस्तुएँ
22.	इंदौर	प्याज, आलू, कागज और कागज उत्पाद, फार्मा, कपड़े
23.	जबलपुर	रेडीमेड कपड़े और होजरी, हरी मटर और दाल, कृषि उत्पाद, संगमरमर के उत्पाद

24.	झाबुआ	मक्के का आटा, बांस की बनी टोकरियाँ, नीम, सफेद मूसली
25.	कटनी	ईंटें, कृत्रिम आभूषण
26.	खरगोन	अनार, कच्चा कपास, मिर्च, चना, पीपी बैग
27.	खंडवा	अनार, प्याज
28.	मंडला	कोडो-कुटकी, डोलोमाइट उत्पाद, पर्यटन, हस्तशिल्प
29.	मंदसौर	प्याज, लहसुन, सब्जियां
30.	मुरैना	लकड़ी आधारित, धातु की मूर्तियां, खाद्य तेल
31.	नरसिंहपुर	सोया तेल, आम, गुड़, पीतल हस्तशिल्प
32.	नीमच	धनिया के बीज, लहसुन, अश्वगंधा, चमड़े की बेल्ट
33.	निवाड़ी	ग्लास फाइबर, सोयाबीन तेल और उसके अंश, मूंगफली
34.	पन्ना	हस्तशिल्प, भारतीय गूसबेरी (आंवला)
35.	रायसेन	चावल और कृषि उत्पाद
36.	राजगढ़	डोलोमाइट, सिसल शिल्प, स्टील शीट और नॉन-अलॉय स्टील, संतरा
37.	रतलाम	काबुली चना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और उसके उत्पाद
38.	रीवा	ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर टरबाइन, सीमेंट, हल्दी
39.	सागर	प्याज, टायर, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि उपकरण
40.	सतना	जूते-चप्पल, सीमेंट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, प्याज
41.	सीहोर	गेहूं का आटा, कृषि उपकरण, पनीर, कपड़ा
42.	सिवनी	काला पत्थर, चावल, खोवा, कपास
43.	शहडोल	मिट्टी, कागज उत्पाद, हल्दी
44.	शाजापुर	संतरा
45.	श्योपुर	इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक, शहद, अमरूद
46.	शिवपुरी	लोहे का सामान, कपड़ा, वन उत्पाद, कृषि उत्पाद, मूंगफली
47.	सीधी	दरी, चमड़े की बेल्ट, अरहर दाल, महुआ
48.	सिंगरौली	वाटर जेल और इमल्शन विस्फोटक, महुआ का पेड़
49.	टीकमगढ़	दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल के बर्तन, सिरेमिक वस्तुएं
50.	उज्जैन	हस्तशिल्प, सिरेमिक मूर्तियां और शिल्प, प्याज
51.	उमरिया	बांस के हस्तशिल्प, सोया, ईकोटूरिज्म, महुआ का पेड़
52	विदिशा	शरबती गेहूं, चना, हथकरघा कपड़ा, जूट, कृषि उपकरण

*****